दिनांक 04.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 301/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 04.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई द्वारा मुकेश कुमार पुत्र धूम सिंह निवासी असावगढ़ थाना तीतरो जनपद सहारनपुर से प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कुशलवीर सिंह के नेतृत्व में थाना तीतरो के गेट के सामने से उ0नि0 देशपाल सिंह (थाना तीतरो जनपद सहारनपुर) पुत्र स्व0 मुखत्यार सिंह निवासी ग्राम काकोर छपरौली जनपद बागपत को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 04.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 302/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के माल ब्रिकी के 08 लाख 35 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 04.06.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर समसपुर से नवादा जाने वाले रास्ते पर निर्माणाधीन मकान के पास से अभियुक्त शोएब को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल ब्रिकी के 08 लाख 35 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सरसावा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शोएब निवासी ग्राम समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के माल ब्रिकी के 08 लाख 35 हजार रूपये नगद।

जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 ट्रैक्टर, 01 ट्राली बरामद**

दिनांक 04.06.2026 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कल्ला से अकोढी रोड की तरफ जाने वाले खडंजे से 03 अभियुक्तों 1—अवधेश कुमार

उर्फ बबलू 2–गुलाब 3–राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 ट्रैक्टर, 01 ट्राली बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ बबलू के विरूद्ध जनपद हमीरपुर, कानपुर देहात व बांदा के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अवधेश कुमार उर्फ बबलू निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

2–गुलाब निवासी रनियां की मडैया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

3–राजेश निवासी हथेही थाना घाटमपुर, कानपुर नगर।

बरामदगी

1–चोरी के 02 ट्रैक्टर, 01 ट्राली।

जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 18 बैट्री, 09 इन्वर्टर**
- **घटना में प्रयुक्त 02 कार**
- **06 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.06.2026 को थाना अकबरपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जगजीवनपुर बम्बा सड़क से 05 अभियुक्तों 1–अनुज 2–पुष्पेन्द्र कुमार 3–गौरव उर्फ भानुप्रताप 4–विपिन 5–रामचन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 18 बैट्री, 09 इन्वर्टर, घटना में प्रयुक्त 02 कार, 06 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री, इन्वर्टर चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनुज निवासी ग्राम बैजूपुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

2—पुष्पेन्द्र कुमार निवासी रोशनमऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

3—गौरव उर्फ भानुप्रताप निवासी ग्राम इकघरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

4—विपिन निवासी ग्राम इकघरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

5—रामचन्द निवासी जरैलापुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—चोरी की 18 बैट्री, 09 इन्वर्टर।

2—घटना में प्रयुक्त 02 कार।

3—06 मोबाइल फोन।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद चन्दौली/थाना चन्दौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 61 लाख रूपये कीमत की 1210 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (बीयर)**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनांक 04.06.2026 को थाना चन्दौली व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी नवीन मण्डी के सामने से 02 अभियुक्तों 1—मूला राम 2—हितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 61 लाख रूपये कीमत की 1210 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (बीयर), घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मूला राम निवासी खोखसर पश्चिम थाना गीडा जनपद बाड़मेर, राजस्थान।

2—हितेन्द्र कुमार निवासी सेवनीपाला थाना बायतु जनपद बाड़मेर, राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 61 लाख रूपये कीमत की 1210 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (बीयर)।

2—घटना में प्रयुक्त ट्रक।

➢ **जनपद कुशीनगर/थाना कप्तानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 19 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/323/324/325/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ढोढई सिंह को 07 वर्ष के कारावास व 19 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———